न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 137 / 2023

1 रामस्वरूप पुत्र बिरजूराम जाति गुर्जर निवासी रोजड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.। हाल जिला नीमकाथाना

अपीलांट

बनाम

1 ताराचन्द पुत्र बिरजूराम जाति गुर्जर निवासी थली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी उनवानी मु. ताराचन्द बनाम रामस्वरूप दावा बाबत घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 52 / 2006 निर्णय दिनांक 21.09.2023

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

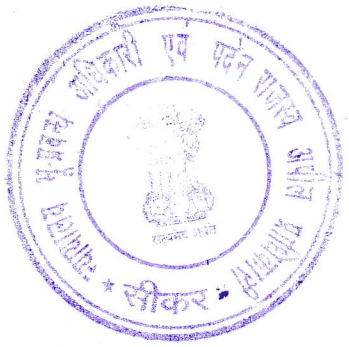

—निर्णय—

दिनांकः— 7.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2006 में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बाबत भूमि खसरा नम्बर 373, 374, 392/1 वाके ग्राम रोजड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 373 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 374 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 392/1 रकबा 0.54 हैक्टेयर वाके सरहद रोजड़ा जो भूमि गत खसरा नम्बर 406 वाके शरहद रोजड़ा से बने है का अपीलार्थी एक मात्र टीनेन्ट है व उसका वास्तविक कब्जा सन 1965 से पूर्व से चला आ रहा है उक्त भूमि को कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने काश्त नहीं की व न ही उसे उक्त भूमि कभी आवंटित हुई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रोजड़ा में निवास नहीं करता है बल्कि वह ग्राम थली में निवास करता है जो रोजड़ा से लगभग 18 कि.मी. दूर पड़ता है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने वाद पत्र में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया है कि गत खसरा नम्बर 406 में किस जगह उसे तथाकथित आवंटन हुआ न यह बताया कि तथाकथित आवंटित की गई भूमि के तथाकथित आवंटन के बाद खसरा नम्बर क्या बने व उसे आवंटित की गई भूमि के ही हाल खसरा नम्बर 373, 374 व 392/1 ही बने, न ऐसा नक्शा आवंटन बाबत पेश किया, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में ऐसा कोई भी राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी

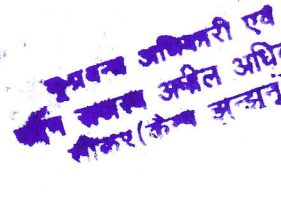

ने अपने टीनेन्सी बाबत समस्त राजस्व रिकार्ड पेश किया व दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से उक्त कथन को साबित किया कि उक्त विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं है न ही उसे उक्त भूमि के लिए कोई विधि अधिकार उत्पन्न होता है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों व दस्तावेजो की अनदेखी कर मात्र एक तथाकथित दस्तावेज प्रदर्श–5 का आधार लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दावा डिक्री कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। विवादित भूमि का नामान्तकरण अपीलार्थी के हक में पटवारी हल्का द्वारा पूरा कर वास्ते स्वीकृति सरपंच ग्राम पंचायत नालपुर के समक्ष पेश किया सरपंच ग्राम पंचायत नालपुर द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों कब्जा व नामान्तकरण की जांच कर पूर्ण सुनवाई करने के पश्चात नामान्तकरण को सही होना मानकर अपीलार्थी के हक में दिनांक 25.06.1987 को नामान्तकरण तस्दीक किया उक्त नामान्तकरण के तस्दीक होने की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रारम्भ से ही जानकारी थी व दावा में भी नामान्तकरण तस्दीक होने का उल्लेख किया फिर भी उक्त नामान्तकरण को निरस्त करवाने की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कोई कार्यवाही नहीं की न ही उक्त नामान्तकरण व उसके आधार पर बने राजस्व रिकार्ड को कभी चैलेंज किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त आचरण से यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई लेना देना नहीं है विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त स्वीकृति के कथन पर कोई विचार नहीं किया न ही इस बाबत अपने निर्णय में कोई उल्लेख किया इस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में दावा में जो तनकीयात कायम हुई उनका कोई भी उल्लेख नहीं किया, आदेश 20 नियम 5 जा.दी. में वर्णित विधिक प्रावधानों के अनुसार विचारण न्यायालय को प्रत्येक विवाधक पर अपना निष्कर्ष देते हुए कारण सहित उसका विनिश्चय करना आवश्यक था जो वाद के निर्णय के लिए आवश्यक था उक्त आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के प्रावधान आदेशात्मक है विचारण न्यायालय ने प्रत्येक विवाधक पर अपना कोई निष्कर्ष नहीं दिया न ही कोई व्याख्या की। विचारण न्यायालय ने

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श ए–1 लगायत ए–16 व उसके द्वारा पेश की गई मौखिक साक्ष्य का अपने निर्णय में कोई भी उल्लेख नहीं किया रिकार्ड ऑफ राईट जमाबन्दी सम्वत 2045 से 2048, सम्वत 2049 से 2052, सम्वत 2053 से 2056, सम्वत 2061 से 2064 व खतौनी में विवादित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज है विधिक प्रावधानों के अनुसरण में उक्त दस्तावेजात में की गई प्रविष्टि की उपधारणा ली जावेगी इसके अलावा काश्त बाबत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई खसरा गिरदावरी व अन्य राजस्व रिकार्ड से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई खसरा गिरदावरी व अन्य राजस्व रिकार्ड से अपीलार्थी का विवादित भूमि का टिनेन्ट होना व उसका कब्जा काश्त होना पूर्णतया प्रमाणित है राजस्व रिकार्ड को अपीलार्थी ने मौखिक साक्ष्य से अपने सशपथ बयान व गवाह डी.डब्लू–2 व डी. डब्लू–3 के बयानों से प्रमाणित किया है इसके विपरीत रिकार्ड पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती है गवाह पी.डब्लू–2 व पी.डब्लू–3 ने अपने बयानों में अपीलार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है इस प्रकार तमाम रिकार्ड से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दावा किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने दावा डिक्री करने में कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2015(2) रेव पेज 1238, आरआरटी 2015(2) रेव पेज 813, आरआरटी 2024(1) रेव पेज 635 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम रोजड़ा स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 406 रकबा 93 बीघा 3 बिश्वा भूमि में से 8 बीघा भूमि दिनांक 24.12.1970 को भू–आवंटन सलाहकार समिति खेतड़ी द्वारा आवंटन की गई थी जिसका रिकार्ड राजस्व में जरिये नामांतकरण संख्या 171 के द्वारा अमल

किया गया। भूमि खसरा नम्बर 406 का हाल सेटलमेंट सन् 1979—80 में नवीन खसरा नम्बर 373 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 374 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 392/1 रकबा 0.54 हैक्टेयर बने है मिसल हैकियत हाल सेटलमेंट में खाता संख्या 129 में वादी का नाम दर्ज है (प्रदर्श—5)। इस प्रकार उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 373, 374, 392/1 किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर का एकांकी खातेदार काश्तकार रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रोजड़ा स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 406 रकबा 93 बीघा 3 बिश्वा भूमि में से 8 बीघा भूमि दिनांक 24.12.1970 को भू—आवंटन सलाहकार समिति खेतड़ी द्वारा आवंटन की गई थी जिसका रिकार्ड राजस्व में जरिये नामांतकरण संख्या 171 के द्वारा अमल किया गया। भूमि खसरा नम्बर 406 का हाल सेटलमेंट सन् 1979—80 में नवीन खसरा नम्बर 373 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 374 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 392/1 रकबा 0.54 हैक्टेयर बने है मिसल हैकियत हाल सेटलमेंट में खाता संख्या 129 में वादी का नाम दर्ज है (प्रदर्श—5)। इस प्रकार उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 373, 374, 392/1 किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर का एकांकी खातेदार काश्तकार रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर